



प्रेषक,

कमल मोहन,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग (अधि०)

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में 03-उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-228(ए)/यूपीनेडा-जैव ऊर्जा बोर्ड-बजट/2026-27, दिनांक 20 अप्रैल, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत 03-उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹ 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) में से प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹ 12,50,000/- (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनामोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 3- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।
- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी०ओ०एल० आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं०-वि०वि०-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810008000300 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कमल मोहन

अनु सचिव

संख्या-23/2026/1341566/001-87-01002-002-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 50प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमल मोहन

अनु सचिव